

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/2018/928-33

दिनांक:- 18-6-18

-: आम-सूचना :-

नगर निगम कोटा के क्षेत्राधिकार में निम्नांकित आवासीय खाली भूखण्ड के स्वामित्व की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी फर्म/संस्था/व्यक्ति का रिक्त भूखण्ड का स्वामित्व से सम्बन्ध हो वह इस आम-सूचना के प्रकाशन से अन्दर मियाद सात दिवस में दशहरा मैदान स्थित राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "सी" के द्वितीय तल के कमरा नं0 301 में आकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। अन्यथा गुजरने मियाद नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निलामी की कार्यवाही की जावेगी। खाली भूखण्ड निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	भूखण्ड सं0	आवासीय भूखण्ड/भवन	स्थान
1	1099	आवासीय	महावीर नगर द्वितीय
2	रामपुरा महात्मा गांधी सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे नया कटला स्थित निगम स्वामित्व का जर्जर भवन		

मियाद गुजरने के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
सूचित हो !

उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम कोटा

दिनांक:- 18-6-18

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/2018/928-33

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा।
2. विधि अधिकारी, नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त भूखण्डों पर कोई वाद विचाराधीन हो तो समयावधि के अन्दर अधोहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करने का श्रम करें।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों स्थानीय अंक में प्रकाशित करावें।
4. ओसवाल डाटा प्रोसेस नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त आस सूचना नगर निगम कोटा की वेबसाईट पर डालें।
5. प्रभारी ई-गवर्नेन्स को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना वेबसाईट पर डालें।
6. गार्ड फाईल।

उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम कोटा